प्रेस विज्ञप्ति

22 अप्रैल 2025

पीएफसी का जेनसोल स्थिति पर सक्रिय प्रबंधन

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) ने कार्बन तीव्रता को कम करने के लिए पेरिस समझौते के तहत भारत की प्रतिबद्धता और फेम तथा पीएम ई-बस सेवा जैसी योजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) को अपनाने के लिए सरकार के प्रोत्साहन के साथ तालमेल बिठाते हुए, जनवरी, 2023 में जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड को 633 करोड़ रुपए की मंजूरी दी ।

यह धनराशि 6,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए, अर्थात 587 करोड़ रुपये ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी की राइड-हेलिंग सेवा को पट्टे पर देने के लिए 5,000 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों की खरीद के लिए तथा 46 करोड़ रुपये कार्गो परिचालन के लिए 1,000 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की खरीद के लिए निर्धारित की गई थी। हालाँकि, थ्री व्हीलर लोन नहीं लिया गया।

इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर वाहनों के लिए स्वीकृत ₹587 करोड़ के ऋण में से, पीएफसी ने ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी को 3,000 ईवी के पट्टे के लिए जेनसोल को केवल ₹352 करोड़ संवितरित किए थे। अब तक, 2,741 वाहनों को पीएफसी को सौंप दिया गया है और पीएफसी द्वारा नियुक्त तृतीय पक्ष एजेंसियों द्वारा पुष्टि की गई है।

इसके अलावा, पीएफसी के पास जेनसोल के इक्विटी शेयर और नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) भी गिरवी हैं, जेनसोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट गारंटी और प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी भी है। पीएफसी के पास चिह्नित ग्रहणाधिकार के साथ ब्लूस्मार्ट द्वारा टीआरए बैलेंस, डीएसआरए बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में लिक्विड एसेट भी मौजूद हैं।

वितरित राशि पर पुनर्भुगतान ₹45 करोड़ के पुनर्भुगतान के साथ शुरू हुआ था, जिससे 18 अप्रैल, 2025 तक ₹307 करोड़ का मूलधन बकाया रह गया। 31 जनवरी, 2025 तक, जेनसोल नियमित रूप से अपने बकाया का भुगतान कर रहा था। चौथी तिमाही 2025 में, पीएफसी ने फरवरी और मार्च, 2025 के बकाया को चुकाने के लिए ऋण सेवा आरक्षित खाता (डीएसआरए) का उपयोग किया है।

पीएफसी इस मामले में सक्रियता से आगे की कार्रवाई कर रहा है तथा सभी संभावित विकल्पों पर विचार कर रहा है।

फर्जी दस्तावेजों के बारे में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों केयर और आईसीआरए से मिले संचार के बारे में पीएफसी ने स्पष्ट किया कि उसने वे पत्र जारी नहीं किए हैं जिनका उन्होंने उल्लेख किया है। इसके अलावा, इन रेड फ्लैग को देखते हुए, पीएफसी की धोखाधड़ी विरोधी नीति के तहत मामले की जांच पीएफसी में आंतरिक रूप से की जा रही है। इसके अलावा, पीएफसी ने फर्जी दस्तावेज जारी करने के संबंध में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में शिकायत दर्ज कराई है।

पीएफसी अपने हितों की रक्षा करने तथा अपने परिचालन में पारदर्शिता बनाए रखते हुए अपने ऋण की वसूली सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधोहस्ताक्षरी/-
(एस. एस.राव)